न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 860/2019

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम्

1. बुधराम पुत्र गोपाल जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. मुकनाराम 3. मुंशीराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
5. शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 52/48 की कुल 1.1910 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 40/36 की कुल 0.8430 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जा[…] की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे [...] करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastaya
Date: 2026.03.04 12:50:58 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 52/48 की कुल 1.1910 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 40/36 की कुल 0.8430 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:50:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 52/48 की कुल 1.1910 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 40/36 की कुल 0.8430 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित कियया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:50:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 860/2019

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. बुधराम पुत्र गोपाल जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. मुकनाराम 3. मुंशीराम पुत्रगण बुधराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
5. शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 860 सन 2019 निर्णय दिनांक 20/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 52/48 की कुल 1.1910 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 40/36 की कुल 0.8430 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित कियया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:30:58 IST
Reason: SelfAttested